न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र सख्या 31/2025

घनश्याम यादव पुत्र श्री सम्पत यादव निवासी रामपुरा अहिरान पुलिस थाना श्रीनगर जिला अजमेर।

– **प्रार्थी/सुपुर्दगीगार**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, अजमेर

–अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार
2. श्री खिया सिंह रावत अभिभाषक प्रार्थी

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497/503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

–:आदेशः–

दिनांक 18.11.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार घनश्याम यादव पुत्र श्री सम्पत यादव निवासी रामपुरा अहिरान पुलिस थाना श्रीनगर जिला अजमेर राजस्थान द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497/503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वास्ते वाहन ट्रेलर संख्या RJ 01 GC 1947 को सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी का वाहन को जिला रसद अधिकारी अजमेर ने दिनांक 30.09.2025 को शाम के समय प्रार्थी के वाहन का चालक पार्किंग स्थल श्री विनायक पार्किंग वर्मा पेट्रोल पम्प के सामने एन.एच. 48 श्रीनगर में खड़ा करके पार्किंग की रसीद लेकर अपने घर गया था, पीछे से दिनांक 01.10.2025 को जिला रसद अधिकारी ने उक्त ट्रेलर को प्रार्थी की गैर मौजूदगी में धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त कर लिया। प्रार्थी उपरोक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी चला आ रहा है। प्रार्थी का उपरोक्त वाहन पर 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का अपराध बनना नहीं पाया जाता है। वाहन पार्किंग में खडा था दौराने जांच भी वाहन वहीं था, पार्किंग की रसीद भी संलग्न पत्रावली है। जिला रसद अधिकारी द्वारा ऐसे कोई तथ्य या सबूत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे प्रार्थी का वाहन अवैध गतिविधि में लिप्त पाया हो। जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा बिना किसी जुर्म के प्रार्थी का वाहन जब्त किया गया। उक्त वाहन थाने पर देख रेख के अभाव में क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। उपरोक्त वाहन प्रार्थी का दैनिक रोजमर्रा का आवश्यक साधन है जिसके अभाव में प्रार्थी को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी को वाहन संख्या RJ 01 GC 1947 को सुपुर्दगीनामें पर लौटाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर टिप्पणी हेतु जिला रसद अधिकारी अजमेर को लिखा गया। टिप्पणी प्राप्त होने पर सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

जिला कलक्टर,
अजमेर

दिनांक 01.10.2025
पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया गया कि
को पुलिस द्वारा अवैध पैट्रोलियम पदार्थ के कारोबार के सबंध में सूचना प्राप्त होने पर
नीरज कुमार जैन जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर, सुनीता शर्मा प्रवर्तन
अधिकारी, अतुल कुमार बडाया प्रवर्तन निरीक्षक, मुकेश कुमार बुगालिया प्रवर्तन
निरीक्षक, महेन्द्र कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक, राहुल कुमार वेदवाल प्रवर्तन निरीक्षक के
साथ नौलखा तिराहे के सामने एन.एच 48 के पास श्रीनगर स्थित दशरथ यादव द्वारा
संचालित पार्किंग कारोबार स्थल पर पहुँचे। मौके पर श्री श्रवण लाल सहायक उप
निरीक्षक आई.सी पुलिस थाना श्रीनगर मय जाब्ता उपस्थित मिले, उन्होनें तहरीर प्रस्तुत
करके बताया कि जरिये उच्चाधिकारियों व डी.एस.टी से सूचना मिली कि नौलखा
तिराहे के पास एन.एच 48 के सामने यादव पार्किंग श्रीनगर में अवैध बायोडीजल का
कारोबार किया जा रहा था जिस पर डी.एस.ओ को सूचित किया गया। मौके पर
टिनशेड में 08 सफेद टंकिया, 01 चौकोर टंकी व 15 लोहे के ड्रम पाये गये, जिनमें
पैट्रोलियम पदार्थ भरा पाया, जिनका माप करवाने पर 750–750 लीटर क्षमता की 03
टंकियो एवं एक–एक लीटर की दो टंकियो में कुल 4250 लीटर हल्का हरा–पीला रंग
का डीजल जैस पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया तथा 825–825 लीटर क्षमता की दो एवं
1000 लीटर क्षमता की एक टंकी में 2650 लीटर गहरा पीला पैट्रोलियम पदार्थ पाया
गया है तथा 1000 लीटर क्षमता की चौकोर टंकी में 900 लीटर हरा पीला पैट्रोलियम
पदार्थ पाया गया। मौके पर टिन शेड से निर्मित कमरेनुमा स्थान में मौजूद 1000–1000
लीटर क्षमता की दो प्लास्टिक टंकी एवं 220 लीटर क्षमता के लोहे के ड्रम व 220
लीटर क्षमता की एक प्लास्टिक के ड्रम में कुल 1800 लीटर हल्का हरा–पीला
पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया। मौके पर टीनशेड के बाहर एक ट्रक टैंकर RJ 42 GA
1375 खडा पाया जिसमें टैकर में पांच कपार्टमेंट तथा कुल क्षमा 34000 लीटर लिखी
हुई है, जिसमें कंपार्टमेट क्रमशः 1,2,3,5 में हल्का पीला रंग का पैट्रोलियम पदार्थ भरा
हुआ पाया। जिसका माप करवाने पर कुल 17300 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया।
ट्रक टेंकर के टैंक से टिन शेड में मौजूद इलैक्ट्रिक मोटर से पाइपों के माध्यम से लोहे
के नोजलनुमा संरचना से जुडा हुआ था इसके पास में ट्रेलर संख्या RJ 01 GC 1947
मौजूद था, जो कि टिन शेड कमरानुमा में मौजूद इलैक्ट्रिक मोटर, प्लास्टिक पाईप व
नोजल से जुडा हुआ था अर्थात उक्त ट्रेलर में अवैध पेट्रोलियम पदार्थ को मौके पर
विक्रय भरा जा रहा था। मौके पर एक ट्रेक्टर टेंकर भी मौजूद था जिसमें नोजलनुमा
पैट्रोलियम पदार्थ भरने के लिये प्लास्टिक पाईप इलैक्ट्रिक मोटर लगे हुये थे। इसके
अतिरिक्त मौके पर टिन शेड (कमरानुमा) में एक इलैक्ट्रिक मोटर 10–10 लीटर क्षमता
लिखा हुआ (अप्रमाणिक) माप, 05 लीटर क्षमता लिखा हुआ एक (अप्रमाणिक माप, मौके
पर श्री दीपक यादव पुत्र श्री सम्पत यादव निवासी रामपुरा अहीरास, पी.एस.श्रीनगर
मौजूद मिले है उन्होने बताया कि ट्रक टेलर संख्या RJ 01 GC 1947 के चालक है कि
दशरथ यादव द्वारा 80 रूपये प्रति लीटर की दर से डीजल बेचा जाता है सस्ता होने
की वजह से वह यहॉ डीजल भरवाने आये है उसी समय पुलिस जाप्ता आया है और
दिनांक 01.10.2025 को शाम के समय यह कार्यवाही करने के बाद से वह यहीं पर है।
इस प्रकार प्रार्थी का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, 3/8,

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

3/10 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः ट्रक टेलर संख्या RJ 01 GC 1947 को राजसात करने के आदेश फरमावे।

दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के निस्तारण में समय लगेगा इस दौरान वाहन खराब हो जावेगा जबकि पिछले काफी समय से वाहन के खड़े रहने से डेमेज हो गया है इसलिये वाहन के समुचित रख रखाव के लिए उपरोक्त वाहन ट्रेलर संख्या RJ 01 GC 1947 को सुपुर्दगीनामे पर छोड़ा जाने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 01.10.2025 को पुलिस द्वारा अवैध पैट्रोलियम पदार्थ के कारोबार के सबंध में सूचना प्राप्त होने पर नीरज कुमार जैन जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) अजमेर, सुनीता शर्मा प्रवर्तन अधिकारी, अतुल कुमार बडाया प्रवर्तन निरीक्षक, मुकेश कुमार बुगालिया प्रवर्तन निरीक्षक, महेन्द्र कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक, राहुल कुमार वेदवाल प्रवर्तन निरीक्षक के साथ नौलखा तिराहे के सामने एन.एच 48 के पास श्रीनगर स्थित दशरथ यादव द्वारा संचालित पार्किंग कारोबार स्थल पर पहुँचे। मौके पर श्री श्रवण लाल सहायक उप निरीक्षक आई.सी पुलिस थाना श्रीनगर मय जाब्ता उपस्थित मिले, उन्होने तहरीर प्रस्तुत करके बताया कि जरिये उच्चाधिकारियों व डी.एस.टी से सूचना मिली कि नौलखा तिराहे के पास एन.एच 48 के सामने यादव पार्किंग श्रीनगर में अवैध बायोडीजल का कारोबार किया जा रहा था जिस पर डी.एस.ओ को सूचित किया गया। मौके पर टिनशेड में 08 सफेद टंकिया, 01 चौकोर टंकी व 15 लोहे के ड्रम पाये गये, जिनमें पैट्रोलियम पदार्थ भरा पाया, जिनका माप करवाने पर 750–750 लीटर क्षमता की 03 टंकियो एवं एक–एक लीटर की दो टंकियो में कुल 4250 लीटर हल्का हरा–पीला रंग का डीजल जैस पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया तथा 825–825 लीटर क्षमता की दो एवं 1000 लीटर क्षमता की एक टंकी में 2650 लीटर गहरा पीला पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया है तथा 1000 लीटर क्षमता की चौकोर टंकी में 900 लीटर हरा पीला पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया। मौके पर टिन शेड से निर्मित कमरेनुमा स्थान में मौजूद 1000–1000 लीटर क्षमता की दो प्लास्टिक टंकी एवं 220 लीटर क्षमता के लोहे के ड्रम व 220 लीटर क्षमता की एक प्लास्टिक के ड्रम में कुल 1800 लीटर हल्का हरा–पीला पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया। मौके पर टीनशेड के बाहर एक ट्रक टेंकर RJ 42 GA 1375 खडा पाया जिसमें टैंकर में पांच कंपार्टमेंट तथा कुल क्षमा 34000 लीटर लिखी हुई है, जिसमें कंपार्टमेट क्रमशः 1,2,3,5 में हल्का पीला रंग का पैट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया। जिसका माप करवाने पर कुल 17300 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ पाया गया। ट्रक टेंकर के टैंक से टिन शेड में मौजूद इलैक्ट्रिक मोटर से पाइपों के माध्यम से लोहे के नोजलनुमा संरचना से जुडा हुआ था इसके पास में ट्रेलर संख्या RJ 01 GC 1947 मौजूद था, जो कि टिन शेड कमरानुमा में मौजूद इलैक्ट्रिक मोटर, प्लास्टिक पाईप व नोजल से जुडा हुआ था अर्थात उक्त ट्रेलर में अवैध पेट्रोलियम पदार्थ को मौके पर तत्समय भरा जा रहा था। मौके पर एक ट्रेक्टर टेंकर भी मौजूद था जिसमें नोजलनुमा पैट्रोलियम पदार्थ भरने के लिये प्लास्टिक पाईप इलैक्ट्रिक मोटर लगे हुये थे। मौके पर श्री दीपक यादव पुत्र श्री सम्पत यादव निवासी रामपुरा अहीरास, पी.एस.श्रीनगर मौजूद मिले है उन्होने बताया कि ट्रक टेलर संख्या RJ 01 GC 1947 के चालक है कि दशरथ यादव द्वारा 80 रूपये प्रति लीटर की दर से डीजल बेचा जाता है सस्ता होने की वजह से वह यहाँ डीजल

जिला कलेक्टर,
अजमेर

भरवाने आये है उसी मय पुलिस जाप्ता आया है और दिनांक 01.10.2025 को शाम के समय यह कार्यवाही करने के बाद से वह यहीं पर है। इस प्रकार उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, 3/8, 3/10 के तहत दण्डनीय अपराध है प्रार्थी ने ट्रेलर वाहन संख्या RJ 01 GC 1947 को उसे सुपुर्दगीनामे पर छोड़ने की प्रार्थना की है। अतः जब्तशुदा उपरोक्त वाहन संख्या RJ 01 GC 1947 के प्रथम दृष्टया पैट्रोलियम पदार्थों के अवैध करोबार में लिप्त होने के फलस्वरूप रूपये 1,00,000/–अक्षरे एक लाख रूपये मात्र की शास्ति राशि आरोपित की जाती है। जिला रसद अधिकारी अजमेर को आदेशित किया जाता हैं कि सम्बन्धित वाहन मालिक द्वारा शास्ति राशि अदा करने पर जब्त किए गये उपरोक्त वाहन की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता नहीं होने पर स्वामित्व बाबत् सन्तुष्ट होने पश्चात् सम्बन्धित को सुपुर्द कर दिया जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.11.2025 को बाद हस्ताक्षर के सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर